तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
07-09-2022	**एकल–पीठ** **श्री अविनाश चौधरी, सदस्य** **उपस्थित :** श्री एस.के.शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी । श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी। **आदेश** हस्तगत् पुनरीक्षण याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–05–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। पुनरीक्षण याचिका अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दलित संदर्भ सूचना केन्द्र माणकलाव ब्लॉक मण्डोर द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन अनुसार अप्रार्थी लूम्बाराम पुत्र रामूराम जाति मेघवाल द्वारा जोधपुर के खसरा संख्या 1265 रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा जिस पर प्रार्थी मंगलाराम पुत्र भीराराम ने कब्जा कर रखा है, में उचित कार्यवाही की प्रार्थना की। मंगलाराम पुत्र भीराराम के विरूद्ध प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत् दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु सम्मन जारी किए गए। तत्पश्चात् उभय पक्ष को सुनकर न्यायालय तहसीलदार भोपालगढ़ ने दिनांक 4–9–2004 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 183–बी अस्वीकार करते हुए धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उक्त आदेश की अपील अप्रार्थीगण लूम्बाराम वगैरह ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर ने आदेश दिनांक 17–5–2005 द्वारा स्वीकार करते हुए तहसीलदार भोपालगढ के आदेश दिनांक 4–9–2004 निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका मंडल में प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने पुनरीक्षण याचिका में उद्धरित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि प्रार्थीगण को विवादग्रस्त भूमि से धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण बेदखल करने के त्रुटिपूर्ण आदेश दिए है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
07-09-2022	संवत् 2012 से ही लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के हक में विवादित भूमि का बेचान किया गया है एवं ऐसी स्थिति में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान प्रार्थीगण पर लागू नहीं होते थे, जिसे लागू करने में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कानूनी भूल की है। प्रार्थीगण द्वारा जो बेदखली की कार्यवाही के संबंध में तहसीलदार, भोपालगढ़ ने धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के वाद को निरस्त किया था, को मियाद में मानकर प्रार्थीगण के साथ अन्याय किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वाद की मियाद 12 वर्ष दी गई है। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 23.04.1962 से ही वादग्रस्त भूमि पर काबिज होने से प्रार्थीगण काश्तकार हो गए थे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कथित बयनामे को प्रभाव शून्य मानते हुए मियाद के आधार इस प्रकरण में लागू नहीं होने के संबंध में राईट टू रिकवर पजेशन मानने में भारी भूल की है। विधि के प्रावधानानुसार एवं धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के कारण रेस्पोडेंट द्वारा कब्जा प्राप्त करने का हक 12 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के कारण अप्रार्थीगण का वाद चलने योग्य नहीं था एवं मियाद के आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने प्रार्थीगण को अतिक्रमी मानते हुए धारा 183–बी के तहत् बेदखली की कार्यवाही विधि विरूद्ध की है। प्रार्थना पत्र में यह कहीं अंकित नहीं था कि प्रार्थीगण ने कब कब्जा दिया एवं अप्रार्थीगण से कब कब्जा प्राप्त किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत अपील धारा 42 व धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत मियाद बाहर थी, जिसका सही अवलोकन किए बिना अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने स्वीकार की है। विवादित आराजी का क्रय दिनांक 25–04–1962 को होने से धारा 42–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रतिबंध लागू नहीं होता व एक अनुसूचित जाति का सदस्य गैर अनुसूचित जाति के सदस्य को अपनी कृषि भूमि का बेचान नियमानुसार कर सकता था। धारा 175 के उक्त प्रकरण में अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संबंध में तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में भारी भूल की है तथा 50 गुणा लगान की शास्ति निर्धारित कर अप्रार्थी को दिलाने का विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है। अतः न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर के साथ तहसीलदार, भोपालगढ द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संबंध में जो कार्यवाही का आदेश दिया है, वह भी निरस्त किये जाकर पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
07-09-2022	उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में कहा कि अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। अप्रार्थीगण के पिता प्रार्थीगण के पिता के पास घर पर कार्य करते थे। अप्रार्थीगण के पिता ने छल कपट व धोखा देकर प्रार्थी के पिता रामूराम का कागजों पर अंगूठा करवा लिया और फर्जी बेचाननामा करवाकर भूमि पर कब्जा कर लिया। अप्रार्थी के पिता को यह पता नहीं था कि अंगूठा किस बात का है। उक्त बेचान फर्जी, अवैध व धारा 42–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उल्लंघन में किया गया था, जिसका पता अप्रार्थी के पिता व अप्रार्थीगण को पहले नहीं लग पाया तथा जानकारी की तिथि से प्रार्थना पत्र धारा 183–बी तहसीलदार को पेश किया गया जो मियाद के आधार पर खारिज किया गया। प्रार्थीगण सवर्ण जाति के एवं अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है। ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183–बी के तहत् अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कार्यवाही करते हुए विवादित भूमि का कब्जा अप्रार्थीगण को दिलाया है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः पुनरीक्षण याचिका खारिज की जावे। हमने उभय की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का गहनता से अवलोकन व अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार, भोपालगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर तहसीलदार द्वारा यह साबित पाया गया कि अप्रार्थीगण के पिता रामूराम पुत्र रावत राम जाति मेघवाल द्वारा ग्राम आसोप में स्थित अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नं. 3265 रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा भूमि को ग्राम हिंगोली के सवर्ण जाति के सदस्य खीयांराम, चुतराराम, मंगलाराम के हक में बेचान दस्तावेज का पंजीयन दिनांक 25–4–1962 को करा दिया था। चूंकि अप्रार्थीगण के अनुसूचित जाति पिता ने उक्त भूमि का बेचान अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति अर्थात् प्रार्थीगण को प्रतिफल अर्जित कर विधि विरूद्ध कार्य किया था, इसलिए अप्रार्थीण को उक्त भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। चूंकि अप्रार्थीगण के पिता की ओर से उक्त बेचान सवर्ण जाति के व्यक्ति को नियम विरूद्ध किया है एवं यह विक्रय धारा 42–ख राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध होने के कारण क्रेतागणों के हक में नामांतरकरण नहीं किया जा सकता।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
07-09-2022	ऐसी स्थिति में ग्राम आसोप में स्थित भूमि खसरा नं. 3265 रकबा 18 बीघा 01 बिस्वा को राजकीय सिवायचक घोषित कर कब्जे राज लिए जाने की कार्यवाही अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर में प्रस्तुत करने का निर्णय पारित किया तथा अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अपीलीय न्यायालय ने मियाद बाहर प्रस्तुत अपील को अप्रार्थीगण द्वारा किया गया बेचान दिनांक 01–05–1964 से पूर्व का होना मानते हुए□(जिसके तहत् दिनांक 22–09–1956 से 01–05–1964 के मध्य अनुसूचित जाति द्वारा सवर्ण जाति को किए गए बेचान वैध माने गए है।) धारा 42 का उल्लंघन नहीं माना है तथा बेचान वैध मानते हुए अप्रार्थीगण लूम्बाराम आदि को विवादित आराजी का कब्जा दिलाए जाने के आदेश पारित किए है। इस एकल पीठ के विनम्र मत में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा तहसीलदार, भोपालगढ़ के द्वारा पारित निर्णय की गलत व्याख्या की गयी है। जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जोधपुर का आदेश दिनांक 17–05–2005 अपास्त किए जाने योग्य है, किन्तु साथ ही प्रश्नगत विक्रय पत्र दिनांक 25.04.1962 का निष्पादन भी धारा 42(b) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उपबंध के विरूद्ध होने के कारण प्रार्थी पुनरीक्षणकर्तागण की प्रार्थना भी स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। परिणामतः हस्तगत पुनरीक्षण याचिका अस्वीकार कर खारिज की जाकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–5–2005 अपास्त किया जाता है एवं तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–9–2004 बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(अविनाश चौधरी)** **सदस्य**	

निगरानी / टीए/ 3464 / 2005 / जिला जोधपुर
मंगलाराम वगैरह बनाम लूम्बाराम वगैरह